

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 125/2019

निर्णय दिनांक —11.06.2019

उदयलाल पिता मोडीराम जाति रेगर आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. रतनलाल पिता देवा जाति पुर्बीया आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. कन्हैयालाल पिता सुरजमल जाति तेली आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. गुड्डी बाई पिता शिवनारायण जाति तेली आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. राधेश्याम पिता नानुराम जाति तेली आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
5. रमेश पिता धन्ना जाति तेली आयु वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मड्डागुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थी की खाता संख्या 24 की आराजी नं0 811 रकबा 0.6600 आराजी नं0 812 रकबा 0.9000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 600/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मड्डागुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थी की खाता संख्या 24 की आराजी नं0 811 रकबा 0.6600 आराजी नं0 812 रकबा 0.9000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5600 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 11.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

